डीजी परिपत्र संख्याः- 54 /2018

ओ0पी0 सिंह
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1–तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांकः लखनऊः अक्टूबर 04 ,2018

प्रिय महोदय,

आप सभी अवगत हैं कि वर्तमान परिवेश में कम्प्यूटर के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, ऐसे में साइबर अपराधों में वृद्धि परिलक्षित होना अवश्यम्भावी है। इन अपराधों से सम्बन्धित साक्ष्य का स्वरूप अमूर्त होने एवं कम्प्यूटर नेटवर्क के प्रयोग से इसकी जटिलता और भी बढ़ जाती है। इन परिस्थितियों में साइबर अपराधों के पंजीकरण एवं अन्वेषण में थाना/न्यायालय सम्बन्धी क्षेत्राधिकार विषयक कई कठिनाईयॉ एवं जटिलतायें भी आती हैं।

प्रायः ऐसा पाया जाता है कि पीड़ित व्यक्ति जिस थाना क्षेत्र का रहने वाला होता है, उस क्षेत्र में उसका बैंक अथवा वित्तीय संस्थान स्थित नही होता है। इन अपराधों में इन्टरनेट का प्रयोग होने के कारण पीड़ित व्यक्ति को तत्काल यह पता लगाना सम्भव नही हो पाता है कि उसके साथ किस स्थान से अपराध कारित किया गया है। पीड़ित व्यक्ति के साथ साइबर अपराध कारित होने पर वह अपने निवास स्थान से सम्बन्धित थाने पर अपराध पंजीकृत कराये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उसको प्रायः उस थाने पर भेज दिया जाता है जहॉ कारित साइबर अपराध से सम्बन्धित बैंक अथवा वित्तीय संस्थान स्थित होता है। इन अपराधों की सीमा का निर्धारण न होने के कारण पीड़ित को बार-बार इधर-उधर भटकना पड़ जाता है, ऐसे में कई दिन व्यतीत हो जाने के कारण पीड़ित व्यक्ति को अपूर्णनीय आर्थिक क्षति हो जाती है। जैसा कि आप विदित हैं कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के दिशा-निर्देश के अनुसार 05 दिवस के अन्दर अपराध घटित होने की सूचना प्राप्त होने पर ही बैंक द्वारा धोखाधड़ी की धनराशि उपभोक्ता को वापस किये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पीड़ित व्यक्ति के हितों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये जाते हैंः-

- जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति उसके निवास स्थान के थाने पर जाये तो उसका प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर द्वितीय प्रति पर प्राप्ति दे दी जाये और साइबर सेल को सूचना दे दी जाये।
- अगर समस्या क्रेडिट/डेबिट कार्ड सम्बन्धी डाटा व पिन नम्बर के लीक होने के कारण अपराध से सम्बन्धित हो तो पीड़ित व्यक्ति को उन्हें लॉक करने में मदद किया जाना समीचीन होगा।

Scanned by CamScanner

- अगर ई-मेल पता के पासवर्ड आदि की हैकिंग हुई है अथवा किसी अन्य प्रकार से सूचना लीक हुई है तो ई-मेल एकाउण्ट को पुनः कार्यशील अथवा ब्लॉक करने हेतु तकनीकी परामर्श देना उचित होगा।
- साइबर सेल की विवेचना से यदि पेमेन्ट गेटवे आदि से बैंक के डाटा का लीक होना प्रतीत होता है तो बैंक/पेमेन्ट गेटवे को पैसा वापस करने हेतु ई-मेल अवश्य कर दिया जाये।
- आवश्यकतानुसार बैंकों को डेबिट-फ्रीज करने हेतु साइबर सेल द्वारा मेल कर दिया जाय।
- पीड़ित व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सूचना के घटना स्थल का सम्बन्ध उस थाने से न होने के बावजूद भी प्रथम सूचना अंकित करते हुए उसको पावती प्रदान कर दी जाय तथा इसकी सूचना तत्काल साइबर सेल को दे दी जाय।
- जनपदीय अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक (अपराध) द्वारा साइबर सेल के कार्यों की मासिक समीक्षा कर ई-मेल भेजने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

आप सभी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि जनपदीय मासिक अपराध गोष्ठी में जनपद पुलिस प्रमुखों द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में सभी अधीनस्थों को निर्देश जारी कर दिये जायें, ताकि जनसामान्य इससे लाभान्वित हो सकें।

भवदीय,

4.10.18

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।
समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, उ0प्र0।
3. समस्त राजपत्रित अधिकारी मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner